915 883

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number :	4d42bd9dfcdfe5a47941
Receipt Date :	30-Nov-2021 05:16:49 pm
Receipt Amount :	12640/-
Amount In Words :	Twelve Thousands Six Hundred And Forty Rupees Only
Token Number :	20210000126317
Office Name :	SRO - Chaibasa
Document Type :	Sale Deed
Payee Name :	VITIKANT RAUT (Vendee)
GRN Number :	2108595476

-: For Office Use :-

2021/CHAI/915/6K21/883

2021/126317
01/12/2021

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुन: प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा इस रसीद का उपयोग पूर्व में कभी नहीं किया गया है।

Md-Ashique

915 883

Sale- 3,16,000/-, P.S. Sadar Chaibasa, St- 12,640/-, Rent- 1.00 P.

Attested
01/12/2021

धारा 2- क अधीन ग्राहय भारतीय स्टाम्प अधिनियम 899 की अनुसूची 1 या 1 क. स0 के अधीन तथा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम के धारा -23- के अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क) से विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

Md. Ashique

"बिक्री केवाला"

"यह जमीन भू–हदबंदी सीमा से बाहर है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 i (a) और (b) का उल्लंघन नहीं करता है।"

Fee paid

A(1)-	9480.00
Salami-	3.00
Process-	1.00
S.P.	1020.00
	10504.00

01/12/2021

विक्रेता :1.फौजिया फरहत, पति–स्व0 हसन इमाम, पेशा–गृहिणी,
2.सुहरावर्दी इमाम,पिता–स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–सेवा निवृत्त,
3.मजहर इमाम, पिता–स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–सेवा निवृत्त,
4.राहत अली इमाम, पिता–स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–नौकरी,
5. शहनाज खातुन, पिता– स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–गृहस्थी,
6. मो0 अली, पिता–स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–नौकरी,
7. मो0 इरफान, पिता– स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–नौकरी,
8. मो0 आशिक, पिता– स्व0 मो0 ऐनुल हक, पेशा–व्यापार, सभी के जाति : सामान्य, सभी के धर्म–इस्लाम, निवासी मुहल्ला–बड़ीबाजार, थाना–सदर, चाईबासा, पत्रालय –चाईबासा, जिला पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड, राष्ट्रीयता – भारतीय नागरिक, विक्रेता सं0–8 के द्वारा विक्रेता सं0–1 से 7 को आममुख्तारनामा सं0–376/28 , बही संख्या–IV, जिल्द संख्या–2/18, पृष्ठ सं0 599 से 672 दिनांक 01.08.2018 के जरिए प्रतिनिधित्व किया जायेगा जो कि जिला अवर निबंधन कार्यालय चाईबासा से निबंधित होकर है ।

01/12/2021
सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं सही पाया ।

शेष 2 पर................

Md. Ashique

-: 2 :-.

क्रेता : भितिकान्त राउत, पिता-अरूण कुमार राउत, जाति–सामान्य, पेशा–नौकरी, निवासी ग्राम – कलाबाडिया, पत्रालय एवं थाना – राजनगर, जिला सरायकेला खरसांवा, झारखण्ड, राष्ट्रीयता – भारतीय नागरिक । आधार नं. 5388 1804 8263.

लेख्य प्रकार : कायमी हक के आवासीय जमीन जिसका रकवा 0 ए 02 डि0 630 वर्गकड़ी मात्र जमीन के बिक्री केवाला ।

जमीन का मूल्य = 3,16,000.00 रू0 मात्र ।

लगान:–1.00 रू0 मात्र सालियाना मालगुजारी अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा को मिले ।

तफसिल जमीन : जिला एवं जिला निबंधन, सिंहभूम पश्चिमी, सदर एवं जिला अवर निबंधन कार्यालय–चाईबासा, मौजा–चाईबासा, थाना–सदर, चाईबासा, वार्ड नं0–1, चाईबासा, खाता नं0–10, प्लोट नं0– 282, नया मार्क D, रकवा 0 ए 02 डि0 630 व0क0 दोन–दो वर्तमान में आवासीय जमीन के बिक्री केवाला ।

चौहद्दी :– उत्तर–नीज, दक्षिण–10 फीट का रास्ता, पुरब :– सब प्लोट नं0–282/E,

पश्चिम– प्लोट नं0–281

फीट नाप:–उत्तर–35 फीट 3", दक्षिण–31 फीट, पूरब–35 फीट 9", पश्चिम–33 फीट 5"

पंजी II में जिल्द संख्या–3, पृष्ठ संख्या–17 में दर्ज होकर है ।

हो0नं0–001000329000M0 है।

शेष 3 पर.........

Md. Ashique

उपरोक्त जमीन का नक्शा इस दलील के साथ संलग्न है, जिसमें बिक्रीत प्लॉट को लाल रंग से रंगीन कर D के रूप में दिखलाया गया है, जो इस प्रलेख का एक अंश माना जायेगा।

उपरोक्त जमीन अन्य सड़क पर स्थित है और आवासीय प्रयोजन हेतु लिया जा रहा है ।

उपरोक्त जमीन हाल सर्वे सेटलमेंट के खतियान में ऐनुल हक, पिता–मोहम्मद जान के नाम से दर्ज होकर है । ऐनुल हक की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त सम्पत्ति उनकी पत्नी रोशन आरा, पुत्र हसन इमाम, सुहरावर्दी इमाम, मजहर इमाम, राहत अली इमाम, मोहम्मद अली, मो0 आशिक, मो0 इमरान एवं पुत्री शाहनाज खातुन उर्फ शाहनाज बेगम के नाम से अंचल अधिकारी,सदर चाईबासा के कार्यालय में नामान्तरण मुकदमा स0–85/2000–2001 दि0 27.03.2001 के जरिए नामान्तरित होकर है । रौशन आरा की मृत्यु हो चुकी है । हसन इमाम का भी मृत्यु हो चुकी है एवं उनकी पत्नी फौजिया फरहत उनकी वारिश हुई, उपरोक्त जमीन हमलोगों के दखल कब्जे में है एवं सम्पूर्ण ऋणभार से मुक्त है, इसप्रकार बिक्रीत जमीन पर कोई विवाद नहीं है तथा किसी अदालत में किसी प्रकार का केस मुकदमा नहीं है एवं आपसी पारिवारिक बॅटवारा में हमलोगों का अपना हिस्सा पाया हुआ नीज हक दखली जमीन है । यह जमीन वन भूमि और गैर मजरूवा जमीन की सूची से बाहर है ।

चूँकि काम जरूरी के वास्ते हमें रूपयों की निहायत जरूरत होने पर तफसिल के लिखा हुआ जमीन को आज के रोज क्रेता के पास 3,16,000=00 रूपया में बिक्री कर देके उक्त जमीन से हम मय वारिसान सदा के लिए निःस्वत्त हुआ ।

क्रेता आज के तारीख से तफसिल के लिखा हुआ जमीन में हमारे हक में पुरा हकदार होकर मालिक के सेरेस्ते में अपना नाम दर्ज करवा कर प्रतिवर्ष उक्त जमीन के लगान अदाय देकर अपना नाम से लगान रसीद लेकर पुस्त–पुस्ताने मय वारिसान जैसे खुशी अपना खुशी मुताविक परम सुख से बराबर भोग दखल करने सकेंगे, इसके वारे में आईन्दे हम अथवा हमारा कोई भी उत्तराधिकारी, वारिसान एवं स्थानापन्नगण किसी तौर के वजूर आपत्ति या दावा दावी करने से विल्कूल नाजायज होगा और कानूनन नामंजुर समझा जायेगा ।

शेष 4 पर..........

md. Ashique

-: 4 :-.

तफसिल के लिखा हुआ जमीन को आज के पूर्व कभी भी कोई भी व्यक्ति के पास बिक्री, बंधक, दान, एकरारनामा, वसियतनामा इत्यादि के जरिये हस्तान्तरित नहीं किया है फिर भी भविष्य में विपरीत सिद्ध होने पर ली गई कीमत का समुचा रूपैया क्षतिपूर्ति राशि सहित क्रेता को वापस करने के लिए हम पावंद रहेंगे ।

इसलिए मैं अपना राजी खुशी से मन और शारीरिक स्वस्थ्यता के हालत में रहकर बिना किसी जोर या दबाव के समझ बुझ कर आज के रोज यह दलील का हाल पुरा तौर से वाकिफ होकर नाम गवाहनों के समक्ष हस्ताक्षरित कर मैंने सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। फकत् तारीख 22वीं माह नवंबर सन् 2021 ई.।

मेरे ब्यान पर यह दलील मुद्रित करवाया गया और विक्रेतागण के आममुख्तारनामा को यह दलील पढ़ कर सुनाया और समझा दिया।

01/12/2021

अधिवक्ता, चाईबासा।

नाम गवाहन

1. Gautam Mishra
S/o. Late Kamla Kant Mishra
New colony, Nimdih, Chaibasa, P.S. SADAR, CHAIBASA.

2. Alok Kumar Nanda
S/o Chakradhar Nanda
Guto Sahi,
P.O. Chaibasa West Singhbhum
Jharkhand.

शेष 5 पर..................

md. Ashique

—: 5 :—.

प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेतागण के आममुख्तारनामा धारक और क्रेता का तस्वीर चिपकाया गया जो मेरे द्वारा अभिप्रमाणित है तथा विक्रेतागण के आममुख्तारनामा धारक और क्रेता का वाँया हाथ का पाँचों उगलियों का निशान मेरे समक्ष लिया गया जो मेरे द्वारा अभिप्रमाणित है।

01/12/2021

अधिवक्ता, चाईबासा।

मैंने मुद्रित किया,

अनुप कुमार मुखर्जी,
आमला टोला, चाईबासा।

प्रमाणित किया जाता है कि दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि वन भूमि/भूदान वन्दोवस्त भूमि नहीं है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत इसका स्थानांतरण प्रतिबंधित नहीं है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की निषेधाज्ञा (injunction) किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लगाई गई है तथा स्थानातंरण किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेतागण जीवित हैं और इनलोगों के द्वारा दिया गया पावर ऑफ एर्टोनी वैध है एवं रद्ध नहीं किया गया है । आममुख्तारनामा धारक इस तथ्य के लिए वचनवद्ध हैं और दायीदार और जिम्मेवार रहेंगे ।